



कार्यालय – वन प्रमंडल पदाधिकारी,
हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल, वन भवन, हजारीबाग

☎ 06546-222339, Email- dfo.hazaribaghwest@rediffmail.com & dfo-hazaribaghwest@gov.in

पत्रांक.....५७५४...../ दिनांक.....०५/१०/२५...../

सेवा में,

अधिक्षण अभियंता (वि०)
टी०एस०सी-IV,
दामोदर घाटी निगम,
हजारीबाग।

विषय:-

डी०भी०सी० हजारीबाग (सिंदूर) सब- स्टेशन से पूर्व- मध्य रेलवे (ECR) धनबाद के टी०एस०एस० अन्तर्गत प्रस्ताव संख्या FP/JH/TRANS/120412/2021 तक 132 के०वी० डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाईन निर्माण हेतु 10.106 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :-

प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, रांच का पत्रांक 726 दिनांक 19.09.2025 (छाया प्रति संलग्न)।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संदर्भ में सूचित करना है कि विषयगत परियोजना 132 के०वी० डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाईन में अपयोजित होने वन भूमि के अपयोजन के प्रस्ताव पर भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, रांची द्वारा दो बिन्दुओं पर पृच्छा की गई है, जो निम्नवत है :-

(I) Comprehensive Wildlife Management Plan has not been submitted.

(II) REC pointed out that since felling of trees (Sl.No.14) and Raising of Electric Towers (Sl. No.16) are the Regulatory activities in the Eco Sensitive Zone (ESZ) notification order dated August 01,2019 of Govt. if made any. Further, the committee emphasized that User Agency should follow the provisions made in the Master Plan, if prepared. Therefore an undertaking from user agency to the effect may be submitted.

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त पृच्छित बिन्दु का निराकरण कर ऑनलाईन अपलोड करते हुए हार्ड कॉपी के साथ इस कार्यालय में समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन,

वन प्रमंडल पदाधिकारी
हजारीबाग पश्चिमी प्रमंडल